संख्या–674/पॉच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलरामपुर, आजमगढ़, देवरिया, बिजनौर, अयोध्या, हापुड़, हाथरस व झांसी।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊ दिनॉक 21 मार्च, 2020**

विषय–नोवल कोरोना वायरस "कोविड–19" से बचाव हेतु जनपद न्यायालयों के परिसरों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 से बचााव हेतु जनपद न्यायालयों के परिसरों की साफ–सफाई एवं अन्य बिन्दुओं के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश मुख्य सचिव स्तर से शासनादेश संख्या–553/पॉच–5–2020 दिनांक 21.03.2020 द्वारा निर्गत किए गए है। कृपया उक्त निर्देशों के अनुसार बलरामपुर, आजमगढ़, देवरिया, बिजनौर, अयोध्या, हापुड़, हाथरस एवं झांसी के जनपदीय न्यायालय के परिसरों में विशेष रूप से साफ–सफाई की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

21.3.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव

संख्या– (1)/पॉच–5–2020 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि वह प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों में विशेष रूप से साफ–सफाई की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।
3. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
5. निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0।
6. संबंधित जनपद के नगर आयुक्त/नगर स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव

r.p.com 4